



2026:AHC:16371

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19676 वर्ष 2025

प्रियंका कुमारी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: विजय प्रकाश चतुर्वेदी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज कुमार गुप्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय प्रकाश चतुर्वेदी की ओर से उपस्थित श्री सुवेश राम (ए/एस 0723/18) और राज्य-प्रतिपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय की बात सुनी गई।
2. मूलतः इस याचिका में दिनांक 17.06.2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें आय प्रमाण पत्र रद्द होने के आधार पर रिट याचिकाकर्ता की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता को आय प्रमाण पत्र रद्द करने को रद्द करने के लिए कार्यवाही के निपटारे के बाद रिट याचिका दायर करके न्यायालय में पुनः जाने की स्वतंत्रता दी जाए।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।



5. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को अधिकार क्षेत्र रखने वाली सक्षम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

22 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।